□□□□ □□□□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्र□□□
स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □□□□□

□□ज□ □□□
अतारां□कित प्रश्न □ख□□ : 1207
02 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त□□

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अत्यंत दबावग्रस्त डिस्पेन्सरी

1207. श्री□ □□□ □□□ □□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री □□ □□□□□□□ो □□□ करगे कि:

(□) क्या सरकार को इस बात को जानकारी है कि सभी सीजीएचएस डिस्पर्सरियां, □□□□□□ f□ल□□ राष्ट्रीय राजधनी क्षेत्र को डिस्पर्सरियां □क□□ां, स□□□ □□ □न□ □□□□□ □□□□ओं □ो □□□ □□□□□ □□□ □; □त□□□□□ ब□□□□ क□□ □;
(□) क्या सरकार प्रत्येक डिस्पसरी पर बढ़ते बोझ और सेवाएं प्रदान करने म ज्यादा समय लगने □□ ध्यान म रखते हुए कुछ बड़े कदम उठाने का □□□□□ □□□□ □;□□ □
(□) □f□ □□;□□□ क□□ □□□□□ 75 वष को उम्र वालों के लिए बिना रेफरल के निजी अस्पतालों म □□ □□ रही ओ॰पी॰डी॰ परामश को सुविध का □□□ 60 □□ □□ □□□□□□□□□□ □म्र □□□□□□ों □□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□?

□त□□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री□ (श्री□ □□श्वे□□ □□□□ □□□)□

(□) □□ (□): सीजीएचएस के तहत जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसस (जीडीएमओ) को कुछ कमी है। कुछ □□□□ओं □□□□□□□□ स□□न और अन्य सुविधाएं पयाप्त ह। सरकार ने जीडीएमओ को कमी को दूर करने के □□□ □□□ □□□□ □, □□;□प्रतिभा को बनाए रखने के लिए जीडीएमओ को सेवानिवृत्ति को उम्र म वृ□द्धि, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के डॉक्टरों के लिए समयबद्ध पदोन्नति को शुरूआत, □च्च □ध□□□/□□□□□□ करने के लिए अध्ययन अवकाश को अवधि म वृद्धि, □□ □□□क□ चिकित्सा अधिकारियों के लिए फाउंडेशन प्र□□क्ष□ □□□क्र□, स्माट निष्पादन मूल्यांकन रिपोट रिकॉर्ड□ □□□□□□ f□□□ □□फ□□□□ □□ □f□□ □ष□□दन मूल्यांकन रिपोट का इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तु□□□□□, आदि। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से रिक्त पदों को भरने के लिए जीडीएमओ को भर्ती हर साल को जाती है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप कद्रीय

स्वास्थ्य सेवा के जीडीएमओ को कमी म 30.03% (01.01.2015 के अनुसार) से 14.23% (01.01.2019 □□□□□□□) □ो □□□□□□ आई है। सरकार ने लंबे समय को प्रतीक्षा से बचने के लिए सीजीएचएस कल्याण कद्रों म परामश के लिए ऑनलाइन अप्वाईं□□□ □□स□□ □□□ि□□□ □□□

(□): वतमान म, ऐसा कोई प्रस्ताव नहों है। तथापि, □□□ □□□□□□□□ □□□ों □ □□□ □□□□□□□□ लाभार्थियों के संबंध म सीजीएचएस के तहत रेफरल प्रणाली को सरल बनाने के लिए दिनांक 15.01.2018 के कायालय ज्ञापन के तहत निदश जारी किए गए ह। इन निदशों के अनुसार, □□□ □□जीएचएस लाभार्थियों को सीजीएचएस वेलनेस सटर के किसी भी चिकित्सा अधिकारी / सीएमओ द्वारा रेफर किए जाने के बाद सीजीएचएस के अंतगत □□□□द्ध निजी अस्पतालों म विशेषज्ञों से ओपीडी परामश □□□□ो □□□□□ □□ □□ □□

****